

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पाँचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 1042 /369/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

| सरल क्रमांक | बिन्दु | विवरण |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | समिति का नाम | इंफोटेक एजुकेशन सोसायटी, भोपाल |
| 2 | विद्यमान महाविद्यालय का नाम | आई ई एस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भोपाल |
| 3 | आवेदित नवीन पाठ्यक्रम | बी0कॉम0- प्रथम वर्ष कम्प्यूटर एप्ली.सहित. |
| 4 | आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम | --- |
| 5 | आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण | कॉलेज कोड 28 में (पूर्व से संचालित पाठ्यक्रम बी.बी.ए., बी.सी.ए. सहित) पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है। गत वर्ष में लगाई गई शर्त की पूर्ति के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। |
| 6 | प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष | कॉलेज कोड 28 में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है। गत वर्ष में लगाई गई शर्त की पूर्ति के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि संस्था को गत वर्ष इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11/04/2017 द्वारा निम्न मुख्य कमियों की पूर्ति 03 माह में करने के निर्देश दिये गये थे- "कीड़ाधिकारी की नियुक्ति स्पष्ट नहीं है। कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां पूर्ण नहीं है। ग्रंथालय पर खर्च शून्य है।" |


//2//

| | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 7 | प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय | | |
| | आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। | मान्य पाठ्यक्रम | - निरंक - |
| | आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है। | अमान्य पाठ्यक्रम | बी0कॉम0- प्रथम वर्ष कम्प्यूटर एप्ली.सहित. |

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1043/369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पाँचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 1038 / 369 / आउशि / सम्बद्धता / 17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय / नवीन पाठ्यक्रम / नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय / समिति) के द्वारा प्रस्तुत / विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों / विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574 / 369 / आउशि / सम्बद्धता / 17 दिनांक 15 / 03 / 2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15 / 03 / 2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों / दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-


| सरल क्रमांक | बिन्दु | विवरण |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | समिति का नाम | गुरु साहब एजुकेशन सोसायटी, सोनपुर तहसील चिचोली (बैतूल) |
| 2 | विद्यमान महाविद्यालय का नाम | गुरु साहब विज्ञान एवं कला महाविद्यालय, सोनपुर तहसील चिचोली (बैतूल) |
| 3 | आवेदित नवीन पाठ्यक्रम | --- |
| 4 | आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम | बी0एससी0-तृतीय (वनस्पति, रसायन, प्राणी) अति0वि0 माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, भौतिक, गणित, कम्प्यूटर साईंस, बी0काम0-तृतीय (कम्प्यूटर एप्ली. सहित), बी0बी0ए0-तृतीय, बी0ए0-तृतीय (इतिहास, राजनीति, समाज) अतिवि0, कम्प्यु0 एप्ली., अर्थशास्त्र |
| 5 | आदेश क्रमांक - 574 / 369 / आउशि / सम्बद्धता / 17 दिनांक 15 / 03 / 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण | शेष कम जमा शुल्क राशि रूपये 90,000 / - चालान द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात् दिनांक 07 / 03 / 2017 को जमा किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 19 / 05 / 2016 को जारी सम्बद्धता में द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता नहीं है। महा0 सत्र 2015-16 से संचालित है, कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं है, विश्वविद्यालय को चयन समिति के गठन हेतु लिखा गया है। |

| | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष | शेष कम जमा शुल्क राशि रूपये 90,000/- चालान द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात् दिनांक 07/03/2017 को जमा किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 19/05/2016 को जारी सम्बद्धता में द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता नहीं है। महा0 सत्र 2015-16 से संचालित है, कॉलेज कोड 28 में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है |
| 7 | प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय | |
| | आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। | मान्य पाठ्यक्रम - निरंक - |
| | आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है। | अमान्य पाठ्यक्रम बी0एससी0-तृतीय (वनस्पति, रसायन, प्राणी) अति0वि0 माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, भौतिक, गणित, कम्प्यूटर साईंस, बी0काम0-तृतीय (कम्प्यूटर एप्ली. सहित), बी0बी0ए0-तृतीय, बी0ए0-तृतीय (इतिहास, राजनीति, समाज) अतिवि0, कम्प्यु0 एप्ली., अर्थशास्त्र |

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1039/369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक-1036 /369/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

| सरल क्रमांक | बिन्दु | विवरण |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | समिति का नाम | महाराणा प्रताप सोशल रिसर्च एण्ड एजुकेशन सोसायटी, भोपाल |
| 2 | विद्यमान महाविद्यालय का नाम | महाराणा प्रताप कॉलेज भोपाल |
| 3 | आवेदित नवीन पाठ्यक्रम | --- |
| 4 | आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम | बी.ए., तृतीय वर्ष (इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र) 02 अतिरिक्त विषय अंग्रेजी सा0, कम्प्यू, एप्ली। |
| 5 | आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता /17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण | कॉलेज कोड 28 के दस्तावेज, यू.जी.सी. वेतनमान के भुगतान से संबंधित दस्तावेज, गत वर्ष में लगाई गई शर्त की पूर्ति के दस्तावेज ई.पी.एफ. कटौती पत्रक संबंधी जानकारी/अभिलेख कार्यालयीन पत्र दिनांक 20/02/2017 द्वारा चाहे अनुसार संस्था द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। कॉलेज कोड 28 में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं हैं। |
| 6 | प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष | बी0एड0 पाठ्यक्रम में कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां हैं। लेकिन निरन्तरता के पाठ्यक्रम/विषयों में कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं हैं। |


//2//

| | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय | | |
| | आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। | मान्य पाठ्यक्रम | - निरंक - |
| | आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है। | अमान्य पाठ्यक्रम | बी.ए., तृतीय वर्ष (इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र) 02 अतिरिक्त विषय अंग्रेजी सा0, कम्प्यू, एप्ली। |

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1027/369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक-1044 /369/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

| सरल क्रमांक | बिन्दु | विवरण |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | समिति का नाम | कलावती स्मृति एजुकेशन सोसायटी, (सीहोर) |
| 2 | विद्यमान महाविद्यालय का नाम | कलावती स्मृति महाविद्यालय, सीहोर |
| 3 | आवेदित नवीन पाठ्यक्रम | बी0ए0- प्रथम वर्ष (राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र), अतिरिक्त विषय- अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर, हिन्दी, अंग्रेजी |
| 4 | आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम | --- |
| 5 | आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता /17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण | कॉलेज में मा.शि.मं. का डी.एड. विषय संचालित है। एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रम के संचालन की अनुमति संचालित है, सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु पृथक भवन उपलब्ध नहीं है। यू.जी.सी. वेतनमान के भुगतान से संबंधित दस्तावेज, ई.पी.एफ. कटौती पत्रक संबंधी जानकारी/अभिलेख, अप्राप्त हैं। बरकतउल्ला वि.वि. का कोई भी पाठ्यक्रम संचालित नहीं है। |
| 6 | प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष | आदेश दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण जिन कारणों से अमान्य किया गया था, वही स्थिति यथावत् है। |


//2//

| | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय | | |
| | आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। | मान्य पाठ्यक्रम | - निरंक - |
| | आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है। | अमान्य पाठ्यक्रम | बी0ए0- प्रथम वर्ष (राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र), अतिरिक्त विषय- अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर, हिन्दी, अंग्रेजी |

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1045/369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 1030 / 369 / आउशि / सम्बद्धता / 17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय / नवीन पाठ्यक्रम / नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय / समिति) के द्वारा प्रस्तुत / विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों / विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574 / 369 / आउशि / सम्बद्धता / 17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों / दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

| सरल क्रमांक | बिन्दु | विवरण |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | समिति का नाम | स्व. घनश्याम सिंह देवड़ा शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, हरदा |
| 2 | विद्यमान महाविद्यालय का नाम | सतपुड़ा वैली कॉलेज, सिराली (हरदा) |
| 3 | आवेदित नवीन पाठ्यक्रम | --- |
| 4 | आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम | बी0ए0-तृतीय वर्ष में अतिरिक्त विषय-कम्प्यूटर एप्ली. |
| 5 | आदेश क्रमांक - 574 / 369 / आउशि / सम्बद्धता / 17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण | महा0 सत्र 2012-13 से संचालित है, कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं है। विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 27/10/2016 द्वारा चयन समिति गठित। विश्वविद्यालय की सम्बद्धता नहीं है। ई.पी.एफ. कटौती पत्रक, यू.जी.सी. वेतनमान के भुगतान से संबंधित जानकारी नहीं है। |
| 6 | प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष | महा0 सत्र 2012-13 से संचालित है, कॉलेज कोड 28 में नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 27/10/2016 द्वारा चयन समिति गठित। निरन्तरता के पाठ्यक्रम बी0ए0-तृतीय वर्ष में अतिरिक्त विषय-कम्प्यूटर एप्ली. में विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 19/05/2016 को सम्बद्धता जारी की गई है। |


//2//

| | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 7 | प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय | | |
| | आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। | मान्य पाठ्यक्रम | एल0एल0एम0-उत्तराखण्ड |
| | आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है। | अमान्य पाठ्यक्रम | - निरंक - |

4. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि, संस्था द्वारा दो माह में कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां अनिवार्य रूप से कर ली जाय अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त माना जायेगा।
5. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।
6. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 103/369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 1028/369/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

| सरल क्रमांक | बिन्दु | विवरण |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | समिति का नाम | मौं नर्मदा शिक्षण समिति, रहटगांव (हरदा) |
| 2 | विद्यमान महाविद्यालय का नाम | साई निकेतन महाविद्यालय, रहटगांव (हरदा) |
| 3 | आवेदित नवीन पाठ्यक्रम | --- |
| 4 | आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम | बी0ए0- तृतीय वर्ष- (हिन्दी साहित्य, समाज, राजनीति शास्त्र) अतिरिक्त विषय- कम्प्यूटर एप्ली., बी0कॉम0- तृतीय वर्ष प्लेन अतिरिक्त विषय- कम्प्यूटर एप्ली. |
| 5 | आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण | शुल्क राशि रूपये 35,000 कम जमा किया गया है। कॉलेज कोड 28 में नियुक्ति की जानकारी, यू.जी. सी. वेतनमान के भुगतान से संबंधित दस्तावेज, बैंक के माध्यम से वेतन के भुगतान से संबंधित दस्तावेज, गत वर्ष में लगाई गई शर्त की पूर्ति के पूर्ण दस्तावेज, ई.पी.एफ. कटौती पत्रक संबंधी जानकारी/अभिलेख कार्यालयीन पत्र दिनांक 14/02/2017 द्वारा चाहे अनुसार संस्था द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं है। सम्बद्धता नहीं है। |


//2//

| | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष | शेष शुल्क राशि दिनांक 09/03/17 को जमा किया गया है। कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा समिति का गठन दिनांक 08/11/2016 को किया गया है। संस्था द्वारा बताया गया है कि दिनांक 15/07/2016 तथा दिनांक 02/10/2016 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। नवीन यूजीसी मापदंड के अनुसार पीएचडी योग्यता वाले 02 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। स्लेट की परीक्षा इसी वर्ष हुई है, पास आउट हुये आवेदकों में से नियुक्ति कर ली जायेगी। | |
| 7 | प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय | | |
| | आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। | मान्य पाठ्यक्रम | बी0ए0- तृतीय वर्ष- (हिन्दी साहित्य, समाज, राजनीति शास्त्र) अतिरिक्त विषय- कम्प्यूटर एप्ली., बी0कॉम0- तृतीय वर्ष प्लेन अतिरिक्त विषय- कम्प्यूटर एप्ली. |
| | आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है। | अमान्य पाठ्यक्रम | - निरंक - |

4. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि, संस्था द्वारा एक माह में कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां अनिवार्य रूप से कर ली जाय अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त माना जायेगा।
5. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।
6. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.


//3//

पृ. क्रमांक- 1029/369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.


कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए-बी विंग,भोपाल-462004

—:: संशोधन ::—

भोपाल, दिनांक— 10/04/2017.

क्रमांक—840 /369/आउशि/सम्बद्धता/17 :: इस कार्यालय के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 779-780/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 10/04/2017, जिसके द्वारा नवकृष्णा एजुकेशन सोसायटी, भोपाल द्वारा संचालित मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, भोपाल को प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत नवीन पाठ्यक्रमों के लिये जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के कॉलम (टेबल) 7 में मान्य पाठ्यक्रम में त्रुटिवश अंकित पाठ्यक्रमों "बी.कॉम.— प्लेन द्वितीय वर्ष अति.वि. कम्प्यूटर एप्लीकेशन, बी.बी.ए.— द्वितीय वर्ष" के स्थान पर "बी.सी.ए., बी0काम0 प्रथम वर्ष प्लेन—अतिवि0 कम्प्यूटर एप्लीकेशन, टेक्सेशन सहित" पढ़ा जाय। शेष आदेश यथावत् रहेगा।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक—841 /369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक—10/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको, भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल—नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, संबंधित अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, म0प्र0।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.